(337)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल कैम्प कोर्ट रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

Rs. 20/-

R-1805-III-14

(1) श्यामधारीराम पिता श्री प्रीतमराम, पेशा कृषि, निवासी ग्राम दुबंगवा, तहसील मनगंवा, जिला रीवा (म0प्र0)

——आवेदक/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1— श्रीमती सुशीला देवी पति श्री मोतीलाल दुबे, निवासी ग्राम दुबगंवा, तहसील मनगंवा, जिला रीवा (म0प्र0)

2— श्यामलालराम पिता श्री प्रीतमराम (मृत)

2अ— अमृतलाल दुबे पिता स्व0 श्री श्यामलालराम

2ब— रामराज दुबे पिता स्व0 श्री श्यामलालराम

दोनो निवासी ग्राम दुबगंवा, तहसील मनगंवा, जिला रीवा (म0प्र0), हाल निवासी ग्राम टिकुरी—37, तहसील मनगंवा, जिला रीवा (म0प्र0)

——गैरनिगराकारगण

विद्वान अनुविभागीय अधिकारी तहसील मनगंवा, जिला रीवा के पीठासीन अधिकारी (श्री रमेश मिश्रा) द्वारा प्रकरण क0—17/ए—27/13—14 में पारित आदेश दिनांक 15/04/2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

मान्यवर,

आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है :—

श्यामधारीराम

[illegible] दुबे
[illegible] कुमार दुबे } दोनो के पिता स्व० श्री श्यामधारी दुबे
दोनो निवासी ग्राम दुकावाँ तहसील मझावा जिला
——— अपीलार्थी
[illegible]

M

(337)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 1805–III / 2014 जिला–रीवा

श्यामधारी राम / सुशील देवी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 17 / ए–27 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 15.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	